जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 287 प्रभात हिण्डौन सिटी, गुरुवार 21 अगस्त, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'बड़े बे आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले'

राजीव गांधी स्टडी सर्किल के ''फ्लॉप शो'' के बाद उल्टे पांव जयपुर लौटे गहलोत

- बड़ी धूम धाम से गहलोत ने दिल्ली में राजीव गांधी की जयंती पर अपनी संस्था, राजीव गांधी स्टडी सर्किल का कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन कार्यक्रम में कोई नेता नहीं आया। यहां तक कि गहलोत के तथाकथित हितैषी भी नहीं आए।
- सिर्फ मीनाक्षी नटराजन आईं जो खाली कुर्सियों के बीच मंच पर गहलोत के साथ बैठीं थीं, गहलोत के परम प्रिय सुभाष गर्ग भी अनुपस्थित थे।
- इसे कहते हैं समय का फेर, कि जो कभी राजा था आज एक पद मात्र के लिए भटक रहा है।

नई दिल्ली के जवाहर भवन में अशोक गहलोत द्वारा आयोजित उनकी संस्था राजीव गांधी स्टडी सर्किल के एक कार्यक्रम में कोई बड़ा नेता नहीं आया। सिर्फ मीनाक्षी नटराजन ही आईं, जो उनके साथ मंच पर बैठी थीं और बाकी कुर्सियाँ खाली थीं।

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 20 अगस्त। अशोक गहलोत भारी उम्मीद और अपेक्षा के साथ दिल्ली पहुँचे लेकिन बुधवार दोपहर ही भारी वे निराशा के माहौल में जल्दी ही लौट गए। उन्होंने जवाहर भवन में गहलोत ने अपनी संस्था राजीव गांधी स्टडी सर्किल का कार्यक्रम आयोजित किया था, उनका सामना सिर्फ खाली कुर्सियों, खाली हॉल से हुआ, उसमें कोई गंभीर नेता मौजूद नहीं था।

सिर्फ मीनाक्षी नटराजन ही आईं थीं, जो उनके साथ मंच पर बैठी थीं, और बाकी थी कुछ खाली कुर्सियाँ।

दर्शकों में बैठे कुछ लोग वे थे, जो अशोक गहलोत के साथ जयपुर से आए थे। यहाँ तक कि सुभाष गर्ग, जो अशोक गहलोत के सबसे बड़े लाभार्थियों में से रहे हैं और जिनका नाम पेपर लीक स्कैम में है, वे भी मौजूद नहीं थे।

इस निराशाजनक कार्यक्रम के बाद अशोक गहलोत जल्द से जल्द जयपुर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एलडीसी भर्ती 2013 की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

जयपुर, 20 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 से जुड़े विभिन्न विवादों को लेकर दायर करीब तीन सौ याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई पूरी कर ली है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश रमेश चन्द्र सैनी व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाओं में अधिवक्ता रमाकांत गौतम और अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने एलडीसी भर्ती-2013 में 19 हजार 275 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जून 2013 में इनमें से सात हजार पदों पर नियुक्ति दी गई। वहीं बाद में बोनस अंकों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भर्ती में रोक लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर, 2016 को बोनस अंकों का विवाद तय कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में राज्य सरकार ने शेष पदों को भरने की सहमति दी। याचिका में कहा गया कि भर्ती के करीब छह हजार पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं। वहीं कंप्यूटर पात्रता, दस्तावेज सत्यापन सहित अन्य बिंदुओं को लेकर भी विवाद है। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कहा

- हाईकोर्ट ने इस प्रकरण से जुड़े विभिन्न विवादों पर दायर 3 सौ याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई पूरी की।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'नोबल शांति पुरस्कार के योग्य नहीं डॉनल्ड ट्रंप'

अधिकांश अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि, ''पीस मेकर'' के रूप में ट्रंप को भारी विफलता मिली है

- मार्केट रिसर्च फर्म यू-गव द्वारा करवाए गए एक ट्रैकिंग पोल से यह निष्कर्ष निकला कि ट्रम्प की लोकप्रियता लगातार घट रही है। मात्र 40 प्रतिशत अमेरिकन्स ने ट्रंप के काम को ''अप्रूवल'' दिया है, वहीं 55 प्रतिशत उनके काम से नाखुश हैं और 4 प्रतिशत ने कोई राय नहीं दी।
- विदेश नीति के क्षेत्र में ट्रंप की दशा बहुत खराब है। विदेश नीति के मामले में फरवरी में ट्रम्प की रेटिंग प्लस 2 थी जो अब घटकर माइनस 14 रह गई है। इसमें भारी गिरावट अलास्का में पुतिन के साथ मीटिंग और फिर जैलेंस्की की अमेरिका यात्रा के बाद आई।
- ट्रंप शेखी बघारते हैं कि उन्होंने 6 माह में 6 युद्ध रुकवाए, परन्तु यूक्रेन के मुद्दे पर वे बुरी तरह से असफल रहे हैं, और अधिकांश अमेरिकी मानते हैं कि डील मेकर के रूप में ट्रम्प असफल रहे हैं।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अगस्त। दूसरे कार्यकाल के 200 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी डॉनल्ड ट्रंप की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। राष्ट्रपति की मौजूदा नेट अप्रूवल रेटिंग माइनस 15 प्रतिशत है, जो पिछले हफ्ते से एक अंक कम है। मार्केट रिसर्च फर्म, ''यू गव'' के ट्रैकिंग पोल के अनुसार, 40 प्रतिशत अमेरिकी उनके कामकाज को सही मानते हैं, 55 प्रतिशत असहमति जताते हैं और 4 प्रतिशत अनिश्चित हैं। यह आंकड़ा आखिरी बार 20 अगस्त 2025 को अपडेट किया गया।

ट्रंप खुद को वैश्विक शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ''छह महीने में छह युद्ध खत्म किए'' और इशारा किया कि वे नोबेल शांति पुरस्कार के योग्य हैं। फिर भी अमेरिकी लोग इस दावे से असहमत नज़र आते हैं। फरवरी में विदेश नीति पर उनकी नेट अप्रूवल रेटिंग थोड़ी देर के लिए प्लस 2 तक पहुँची थी। तब से यह लगातार गिर रही है और इस हफ्ते माइनस 14 पर आ गई। अलास्का में व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी चर्चित बैठक तथा उसके बाद वाइट हाउस में वलोदिमिर ज़ेलेन्स्की की यात्रा के बाद भारी गिरावट आई। केवल 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि ट्रंप और पुतिन ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में कोई ठोस प्रगति की। इस संघर्ष से निपटने के उनके तरीके को लेकर अब उनकी नेट अप्रूवल रेटिंग माइनस 10 है, अधिकतर अमेरिकी उन्हें प्रभावी वार्ताकार से ज्यादा एक ''अप्रभावी'' वार्ताकार मानते हैं।

हालाँकि ट्रंप संवैधानिक रूप से 2028 में दोबारा नहीं लड़ सकते, फिर भी उनका दूसरा कार्यकाल जनमत से प्रभावित रहेगा। शपथ ग्रहण के बाद से ''यू गव'' ने साप्ताहिक स्तर पर उनकी अप्रूवल और डिसअप्रूवल रेटिंग दर्ज की है और ''द इकॉनमिस्ट'' ने ट्रंप की तुलना उनके पूर्ववर्तियों से की है। ज़्यादातर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की शुरुआत सकारात्मक रेटिंग से करते हैं। इसके विपरीत ट्रंप के दोनों कार्यकाल ''मिली- जुली'' प्रतिक्रिया से शुरू हुए। पहला कार्यकाल लगभग पूरा समय नकारात्मक रेटिंग में रहा और दूसरा भी उसी राह पर है। पदभार सँभालने के दो महीने के भीतर ही उनकी नेट अप्रूवल शून्य से नीचे चली गई और वहीं बनी हुई है।

नीतिगत मुद्दों पर तस्वीर और खराब है। पदभार सँभालने के तुरंत बाद, अमेरिकियों ने ट्रंप को अर्थव्यवस्था और महँगाई पर सकारात्मक अंक दिए थे। लेकिन उनके व्यापार युद्ध के ऐलान और निवेशकों की चिंता ने माहौल बिगाड़ दिया। अब महँगाई, नौकरियों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'प्रेस रिलीज़ को कानून में परिवर्तन नहीं माना जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिये अपने आदेश में स्पष्ट किया, कानून में परिवर्तन के लिए एक विधिवत् प्रक्रिया होती है, जैसे विधानसभा में पारित प्रस्ताव, और इसी प्रक्रिया से कानून में तब्दीली हो सकती है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अगस्त। नई दिल्ली, 20 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 अगस्त) को कहा कि सरकार के फ़ैसले और स्पष्टीकरण, जिनमें 'प्रेस रिलीज़' भी शामिल हैं, को ''पावर परचेज़ एग्रीमेंट्स (पी.पी.ए.)'' में ''कानून में बदलाव'' नहीं माना जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह कहते हुए नाभा पावर लिमिटेड (एन.पी.एल.) और तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टी.एस.पी.एल.) की याचिका ख़ारिज करते हुए यह टिप्पणी की। इन कंपनियों ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी. एल.) से कानून में बदलाव के आधार पर मुआवज़ा माँगा था। अदालत ने एपिलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के फैसले को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक नोटिस या प्रेस रिलीज़, जिनके पीछे कोई विधायी या वैधानिक आधार नहीं है, उन्हें कानून में बदलाव के रुप में नहीं माना जा सकता। वे केवल प्रशासनिक नीति दस्तावेज़ हैं जो सरकार द्वारा स्पष्टीकरण के लिए जारी किए जाते हैं। यह मामला उस विवाद से जुड़ा है, जो सामने आया जब अपीलकर्ता

- प्रेस रिलीज़ को अधिकतम एक प्रशासनिक जरिया माना जा सकता है, जो सरकार समय-समय पर जारी करती है, प्रशासनिक स्पष्टीकरण की दृष्टि से।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वाले तीन गिरफ्तार

जयपुर, 20 अगस्त। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बुधवार को थर्ड ग्रेड,पटवारी और पीटीआई भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट सहित अन्य तरीके से धांधली करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि अध्यापक थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2023, में आरोपित डमी कैंडिडेट राकेश कुमार बिश्नोई, निवासी रणजीतपुर बज्जू बीकानेर, वर्तमान में ग्राम सेवक पंचायत समिति बौंली, सवाई माधोपुर, को गिरफ्तार किया है। इस ने मूल अभ्यर्थी अरविन्द कुमार की जगह परीक्षा दी थी। अरविन्द पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इस संबंध में सांगानेर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।

- एसओजी ने थर्ड ग्रेड अध्यापक, पटवारी व पीटीआई भर्ती परीक्षा में यह कार्यवाही की।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सिल्वर सॉइल इंडस्ट्रियल पार्क की जमीन को हमारी अनुमति बगैर न बेचा जाये'

- नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने यह आदेश पारित करते हुए यह भी कहा कि उसके 1 मार्च, 2022 को पारित ऐसे ही आदेश की कैसे अवहेलना की गई और इस इंडस्ट्रियल पार्क की जमीन के बड़े हिस्से को बेचान किया गया, तथा उसकी सेलडीड भी जारी की और उसकी रजिस्ट्री भी हुई।
- कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल ने गोविन्दगढ़ के सब रजिस्ट्रार और स्टैम्प पेपर और रजिस्ट्रेशन जारी करने वाले इंसपैक्टर जनरल से जवाब-तलब किया है, उसने कैसे सिल्वर सॉइल प्रोजेक्ट की जमीन के सेल डीड जारी की, जबकि अदालत ने ऐसा न करने के स्पष्ट आदेश दिये थे और याचिकाकर्ता ने भी दोनों अधिकारियों को अदालती आदेश के बारे में जानकारी दी थी।

जयपुर, 20 अगस्त। नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जयपुर बेंच ने सत्यनारायण गुप्ता को राहत देते हुए आदेश दिए हैं कि उसके द्वारा सिल्वर सॉइल इंडस्ट्रियल पार्क के मामले में 1 मार्च 2022 को पारित आदेश की पालना की जाए और अदालत की अनुमति बगैर इंडस्ट्रियल पार्क की जमीन का बेचान और रजिस्ट्री न की जाए। सिल्वर सॉइल इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार, यह एस एन जी ग्रुप का एक विशाल प्रोजेक्ट है जिसमें 119 रिहायशी प्लॉट्स के साथ साथ 221 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का बेचान किया जाना है।

सत्यनारायण गुप्ता के अनुसार इस पार्क में कमर्शियल प्लॉट्स और रिहायशी प्लॉट्स का कुल क्षेत्र फल 300,000 वर्ग गज है जो इसे जयपुर के आसपास बन रहे सबसे बड़े इंडस्ट्रियल/रेजिडेंशियल पार्क में से एक बनाता है। और एन सी एल टी, जयपुर, के 1 मार्च 2022 के आदेश के बाद भी करीब एक लाख वर्ग गज से भी अधिक जमीन का बेचान किया गया और सेल डीड भी बनाई गई।

उल्लेखनीय है कि सिल्वर सॉइल इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड में सत्यनारायण गुप्ता के साथ साथ दो अन्य निदेशक, तारा चंद चौधरी और अशोक श्री कृष्ण मुंद्रा भी थे, परन्तु आपसी विवाद के कारण इस मामले में कई तरह के सिविल सूट व एफ आई आर दर्ज कराई गई।

जैसा कि विदित है कि इस मामले में सत्यनारायण गुप्ता की ओर से कई बार गंभीर आरोप लगाए गए कि तारा चंद चौधरी, जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव भवानी शंकर सामोता के रिश्तेदार भी हैं, ने अदालत से तथ्य छुपाते हुए और अदालत के इसी मामले में दिए गए 1 मार्च 2022 के आदेश की अवहेलना करते हुए सिल्वर सॉइल इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड का एक बड़ा भाग को भवानी शंकर सामोता को बेचा था। हालांकि भवानी शंकर सामोता ने बयान दिया था कि उन्हें इस मामले में चल रहे विवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

यह भी उल्लेखनीय है कि सत्यनारायण गुप्ता ने गत गहलोत सरकार के पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाए थे कि उन्हें एफ आई आर के जरिए डरा धमका कर, चुप रहने के लिए दबाव बनाया गया था क्योंकि भवानी शंकर सामोता वैभव गहलोत और पूर्व

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राधाकृष्णन ने नामांकन भरा

नयी दिल्ली, 20 अगस्त। उप राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस एतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री उप राष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के प्रस्तावक बने।

इस अवसर पर उनके साथ मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और राजग सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता तथा जनता दल यूनाइटेड से ललन सिंह और संजय झा, लोजपा (रामविलास) से

- राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए सत्तारुढ़ एन.डी. ए. के प्रत्याशी हैं। उन्होंने नामांकन पत्र के चार सैट दाखिल किए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

''इंटिग्रिटी बिल'' के मार्फत बहुत ''ऊंचा'' और खतरनाक दांव खेला है सरकार ने?

इस बिल ने न केवल विपक्षी दलों बल्कि सत्तारुढ़ पार्टी के सहयोगी दलों में भी खलबली मचा दी है

- बिल प्रस्तावित करता है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी केन्द्रीय मंत्री हो, अगर वो किसी गंभीर अपराध (जिस में 5 साल तक की सजा का प्रावधान हो) में 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा।
- विपक्षी दलों ने इसकी भारी आलोचना की और कहा कि इसका लक्ष्य विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाना है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, यह बिल जांच अधिकारी का दर्जा प्रधानमंत्री से भी ऊपर बना देता है, जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है।
- भारी आलोचनाओं के बीच कुछ नेताओं ने बिल की तारीफ भी की। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि उन्हें बिल में कुछ भी गलत नहीं लगता है। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने कहा कि यह अच्छा विधेयक है अगर कोई नेता आरोपी है और जेल में है तो वह पद पर नहीं रह सकता है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अगस्त। संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में, मोदी सरकार ने बुधवार को एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए तीन विवादास्पद विधेयक पेश किए, जिससे न केवल विपक्ष बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दलों में भी हलचल मच गई है।

इन प्रस्तावित विधेयकों के तहत यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री किसी गंभीर अपराध (गंभीर अपराध की परिभाषा ऐसे मामलों के रूप में दी गई है जिनमें पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो), के मामले में लगातार 30 दिन की न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से स्वत: ही हटाया जा सकता है। एक अन्य विधेयक विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री को इसी आधार पर हटाए जाने का प्रावधान करता है।

यह घोषणा बिना किसी पूर्व परामर्श के की गई, न ही सहयोगी दलों से और न ही विपक्ष से कोई परामर्श किया गया है। इससे देश की राजनीतिक व्यवस्था में खलबली मच गई है। आलोचकों और विश्लेषकों का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी बहाल करने की घोषित मंशा से परे, सरकार शायद अपनी रणनीति आगे बढ़ा रही है, जिसका लक्ष्य अपने सहयोगियों को असहज करना और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना हो सकता है।

सरकार की ओर से इन विधेयकों को यह कहकर उचित ठहराया गया कि ये राजनीतिक जीवन में वही मानक लागू करेंगे जो पहले से ही सिविल सेवकों पर लागू हैं। एक सरकारी बयान में कहा गया, ''जो लोग गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं, उन्हें सत्ता में रहकर शासन पर प्रभाव डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए।''

संसद के भीतर कुछ नेताओं ने इस विचार का समर्थन भी किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस प्रस्ताव को ''उचित'' बताया और कहा, ''अगर आप 30 दिन जेल में बिताते हैं, तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हैं? ... मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता।''

हालाँकि, विपक्ष इस कदम को कहीं अधिक खतरनाक मानता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चेतावनी दी कि यह विधेयक ''निर्दोष होने की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण

नयी दिल्ली, 20 अगस्त। दुनियाभर में जारी उथल-पुथल के दौर के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारत ने बुधवार 20 अगस्त, 2025 को अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से सफलतापूर्वक किया गया है। अग्नि-5 मिसाइल के परीक्षण में सभी परिचालन और तकनीकी मानकों की पुष्टि हुई है। इस परीक्षण को भारत के स्ट्रैटिजिक फोर्स कमांड के तत्वावधान में पूरा किया गया है।

- अग्नि 5 भारत की सबसे ताकतवर मध्यम दूरी की मिसाइल है और एटम बम को भी ले जा सकती है।

अग्नि-5 भारत की सबसे ताकतवर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल परमाणु बम को अपने साथ ले जाने में सक्षम है और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)